<u>न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्षसं0–3, इलाहाबाद</u>

<u>राष्ट्रीय लोक अदालत</u>

<u>दि0:12.11.2022</u>

<u>आदेश</u>

आज अभियुक्त द्वारा जुर्म स्वीकार किया गया। जुर्म की स्वीकारोक्ति के आधार पर न्यायालय द्वारा अर्थदण्ड से अधिरोपित किया गया। अभियुक्त द्वारा न्यायालय द्वारा अधिरोपित अर्थदण्ड को जमा किया गया। जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर मुकदमा समाप्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

न्यायिक मजिस्ट्रेट,

कक्ष सं0–3, इलाहाबाद